"मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत"
परिशिष्ट-एक में (प्रारूप-ब)
योजना की कंडिका 2 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में अंग भंग होने पर सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

			47 111	1 (1111)				_
ि	ञ्लेक्टर, जेला न.प्र.)					से प्रग	यं के हस्ताक्षर गणित पासपोर्ट ज स्वयं का फोटो	
नि	नेवेदन है वि	क ,						J
			.(आवेदक का					
			थाना 		.तहसील	जिल	ग	का
कृषक हू	। खसरा क	मांक	ह।					
			को स्थानको स्थानकृषि कार्य (1 से 9) करते हुए दुर्घटना में					
			कृषि का सका शासकी					
	(अप) गग) गथ संलग्न		राष्ट्रा साराष्ट्रार	न ।पापर	NIAN BINI	ाप्या गया	יויא	जापप्रा
क्रमांक	शारीरीक	अंग का	अंग भंग का	विवरण	स्थायी /	अस्थायी	विवरण	
	नाम	_			अपंगता		_	
1.	1. 2.		3.		4.		5.	
कार्य कर (2) मै करते सम	ने की क्षमत i (आवेदक) ाय दुर्घटना	ा पर नकारात यह प्रमाणित के कारण प्रा		ड़ा है। उपरोक्त	ा अंग भंग	मुझे अपने	C	
3	ातः अनुरोध	है कि सहाय	ाता राशि स्वीव	कृत करने	का कष्ट	करें।		
दावे के उ अथवा अ वह प्राप्त	प्तंबंध में यह सत्य प्रमाण	ह पाया जाये पत्र के आध राशि को ब्या	करता हूँ कि ऐसा दावा या गर पर प्राप्त व ज सहित एक	ं घोषणा की गई ह	असत्य त [ृ] हो तो कले	थ्यों अथवा उ क्टर को अ	असत्य ज धिकार ह	ानकारी ोगा कि
				3 प ग्र त	गावेदक का ता :—. गम हसील	नाम		